भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3180
जिसका उत्तर शुक्रवार, 09 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

**न्यायाधीशों की नियुक्ति और सुविधाएं**

**3180. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद :**
**श्री के. गोपीनाथ :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के 133वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है और देश में उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय न्यायपीठों की स्थापना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन कराने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ;
(ख) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता और सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ;
(ग) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन, भत्तों, पेंशन आदि में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) :** भारत के संविधान का अनुच्छेद 130 उपबंध करता है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर नियत करे ।

2. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय विभाग संबंधी संसदीय स्थायी ने अपनी 133वीं रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ, यह सिफारिश की है कि भारत के उच्चतम न्यायालय देश में चार या पांच स्थानों पर क्षेत्रीय न्यायपीठों की स्थापना के लिए संविधान के अनुच्छेद 130 का अवलंब ले सकेगा ।

3. ग्यारहवें विधि आयोग ने 1988 में प्रस्तुत "उच्चतम न्यायालय-एक नई दृष्टि विषयों पर" नामक अपनी 125वीं रिपोर्ट में उच्चतम न्यायालय को दो अर्थात् (i) दिल्ली स्थित सांविधानिक न्यायालय और (ii) उत्तरी, दक्षिणी पूर्वी, पश्चिमी तथा मध्य भारत में आसीन अपील न्यायालय या फेडरल न्यायालय में विभाजित करने के लिए दसवें विधि आयोग की उसकी 95वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को पुन: दोहराया है । अठारहवें विधि आयोग ने वर्ष 2009 में प्रस्तुत अपनी 229वीं रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया था कि एक सांविधानिक न्यायपीठ दिल्ली में स्थापित की जाए और चार मनसूखी न्यायपीठें उत्तरी क्षेत्र दिल्ली में, दक्षिणी क्षेत्र चेन्नई/हैदराबाद में, पूर्वी क्षेत्र कोलकाता में और पश्चिमी क्षेत्र मुंबई में स्थापित की जाए ।

4. यह मामला भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को निर्दिष्ट किया गया था, जिन्होंने सूचित किया कि मामले पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् पूर्ण न्यायालय ने 18 फरवरी, 2010 को हुई बैठक में दिल्ली से बाहर उच्चतम न्यायालय की न्याय पीठों को स्थापित करने का औचित्य नहीं पाया है । भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने इससे पूर्व अगस्त, 2007 में वैसे ही विचार व्यक्त किए थे ।

5. राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना संबंधी रिट याचिका डब्ल्यूपी(सी) सं. 36/2016 में उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 13.07.2016 के निर्णय द्वारा मुद्दे को प्राधिकारिक उदघोषणा के लिए सांविधानिक न्यायपीठ को निर्दिष्ट करना उचित समझा । मामला वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है ।

**(ख) :** उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है, जो व्यक्तियों की किसी जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं । तथापि, सरकार ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति से निवेदन किया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजने के दौरान, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों पर भी सम्यक विचार किया जाए ।

**(ग) और (घ) :** उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्याधीशों के संबंध में वेतन, भत्ते, पेंशन आदि क्रमश: उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 द्वारा शासित होते हैं । उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्याधीशों के वेतन, पेंशन और भत्ते उपरोक्त उल्लिखित लागू दोनों विधियों के संशोधन के माध्यम से सरकार द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप 01.01.2016 से अंतिम बार पुनरीक्षित किए गए थे । वर्तमान में, कोई प्रस्ताव उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि में वृद्धि के लिए सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

*********